रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3 Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 1978/आषाढ 7, 1900

No. 189] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 1978/ASADHA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1978

सा०का०नि० 340 (अ)—केन्द्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर लौह और इस्पात कम्पनियां (पुनर्गठन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1978 (1978 का 16) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

(1) इस आदेश का नाम पब्लिक सेक्टर लौह और इस्पात कम्पनियां (पुनर्गठन) और प्रकीर्ण उपबंध, कठिनाइयों का हटाया जाना, आदेश सं० 1 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2 (1) जहां, यथास्थिति कोई विघटित कम्पनी, या किसी स्थानान्तरित एकक की बाबत कोई कम्पनी, उक्त अधिनियम की धारा 23 में यथानिर्दिष्ट किसी भी प्रकृति की संविदा, विलेख, बंधपत्र, करार की पक्षकार है और उसके अनुसरण में मांग, सूचना या अन्य किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है या नहीं, तो अविभाज्य कम्पनी यथाआवश्यक कोई अन्य कार्रवाई प्रारम्भ कर सकने या जारी रख सकने में उसी प्रकार सक्षम होगी मानो वह अविभाज्य कम्पनी, यथास्थिति, कोई विघटित कम्पनी या किसी स्थानान्तरित एकक की बाबत कोई कम्पनी हो।

(2) संदेहों को दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि अविभाज्य कम्पनी किसी विघटित कम्पनी या किसी स्थानान्तरित एकक की बाबत किसी कम्पनी को दी गई किसी गारण्टी या उसके पक्ष में खोले गए प्रत्यय-पत्र या उसके पक्ष में किसी भी प्रकृति की किसी अन्य लिखित को प्रचालित करने, प्रवृत्त करने या उस पर कोई अन्य कार्रवाई करने अथवा यथापूर्वोक्त किसी गारण्टी या प्रत्यय-पत्र या किसी अन्य लिखित के प्रचालन या प्रवर्तन या किसी अन्य कार्रवाई के लिए उस विघटित कम्पनी या स्थानान्तरित एकक की बाबत कम्पनी द्वारा यथाआवश्यक की गई किसी अन्य कार्रवाई को जारी रखने में उसी प्रकार सक्षम होगी मानो वह अविभाज्य कम्पनी, यथास्थिति, विघटित कम्पनी या स्थानान्तरित एकक की बाबत कम्पनी हो।

3 इस आदेश में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें उक्त अधिनियम में दिए गए हैं।

[सं० 2(6)/78-एस ए आई एल-I]

शिवराज देव प्रसाद, अपर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

ORDER

New Delhi, the 28th June, 1978

G.S.R. 340(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Act, 1978 (16

of 1978) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Removal of Difficulties Order No. 1.

(2) It shall come into force at once.

2. (1) Where a dissolved company or, as the case may be, a company in respect of a transferred unit, is a party to a contract, deed, bond, agreement of whatever nature as are referred to in Section 23 of the said Act and in pursuance thereof any action has been taken or not, whether by way of demand, notice or otherwise, it shall be competent for the Integral Company to initiate, continue or take such other action as may be necessary as if the Integral Company were the dissolved company or, as the case may be, the company in respect of a transferred unit.

(2) For removal of doubts it is hereby declared that it shall be competent for the Integral Company to operate, enforce, or take any other action on any guarantee given to or Letter of Credit opened in favour of or any other instrument of whatever nature in favour of a dissolved company or a company in respect of a transferred unit, or continue any such action taken by the dissolved company or the company in respect of a transferred unit, as may be necessary in respect thereof for the operation, or enforcement of, or other action on, any guarantee or Letter of Credit or other instrument as aforesaid as if the Integral Company were the dissolved company or, as the case may be, the company in respect of a transferred unit.

3. All words and expressions used in this Order shall have meanings respectively assigned to them in the said Act.

[No. 2(6)/78-SA II-I]

S. D. PRASAD, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978